

भारत-चीन सीमा विवाद का द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर प्रभाव

सुनील कुमार¹ and डॉ. रेखा रानी²

¹शोधार्थी, राजनीति विज्ञान-विभाग

²प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान-विभाग

सनराइज़ विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सारांश

भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जिनके बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश तथा वैश्विक आर्थिक मंचों पर साझेदारी निरंतर बढ़ी है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों का सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। विशेष रूप से 2013 का देपसांग, 2014 का चुमार, 2017 का डोकलाम तथा 2020 की गलवान घाटी की घटनाओं ने दोनों देशों के राजनीतिक विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिसका सीधा प्रभाव व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ा।

यद्यपि भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार निरंतर बढ़ा है, किंतु व्यापार असंतुलन, निवेश प्रतिबंध, तकनीकी निर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने आर्थिक सहयोग की गति को सीमित किया है। यह समीक्षा-पत्र उपलब्ध साहित्य, सरकारी रिपोर्टें तथा शोध अध्ययनों के आधार पर सीमा विवाद और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के अंतर्संबंधों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सीमा विवाद केवल सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि आर्थिक नीति, निवेश रणनीति और क्षेत्रीय सहयोग को भी प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। निष्कर्षतः, स्थायी आर्थिक सहयोग के लिए सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान, विश्वास निर्माण उपायों कूटनीतिक संवाद तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है।

मुख्य संकेतक: सीमा विवाद, द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, निवेश, गलवान, एलएसी, व्यापार असंतुलन, भू-राजनीति।

परिचय

भारत और चीन विश्व की दो सबसे बड़ी जनसंख्या तथा तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाएँ हैं। दोनों देश वैश्विक आर्थिक विकास, क्षेत्रीय व्यापार, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा तथा बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे BRICS, SCO और G-20 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध पिछले दो दशकों में अत्यधिक विस्तारित हुए हैं। भारत के लिए चीन इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, औद्योगिक कच्चे माल और रसायनों का प्रमुख स्रोत है, जबकि चीन भारत से लौह अयस्क, कृषि उत्पाद, जैव-रसायन तथा अन्य वस्तुओं का आयात करता है।

हालाँकि, सीमा विवाद दोनों देशों के संबंधों में लगातार तनाव का कारण बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध समय-समय पर आर्थिक सहयोग को प्रभावित करते रहे हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत ने चीनी निवेश, मोबाइल एप्लिकेशन, दूरसंचार परियोजनाओं तथा सार्वजनिक खरीद में अनेक प्रतिबंध लगाए। इससे स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीति अब एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

भारत-चीन सीमा विवाद का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत-चीन सीमा विवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल की सीमांकन प्रक्रिया में निहित हैं। 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच विश्वास में भारी गिरावट आई। 1993, 1996, 2005 तथा 2013 में विभिन्न लड़ाइयों के माध्यम से सीमा पर शांति बनाए रखने के प्रयास किए गए, बावजूद डोकलाम (2017) और गलवान (2020) जैसी घटनाओं ने इन प्रयासों की सीमाएं उजागर कर खड़ी कीं। सीमा विवाद का समाधान न होने के कारण दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी समय-समय पर प्रभावित होते रहे हैं।

भारत-चीन सीमा विवाद एशिया की सबसे जटिल और दीर्घकालिक भू-राजनीतिक समस्याओं में से एक है, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि औपनिवेशिक काल में किए गए सीमांकन, भौगोलिक अस्पष्टताओं, राजनीतिक दृष्टिकोणों तथा स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों द्वारा अपनीई गई विदेश एवं सुरक्षा नीतियों से जुड़ी हुई है। भारत और चीन के बीच लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आज भी स्पष्ट रूप से स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित नहीं है। इस सीमा को तीन प्रमुख क्षेत्रों— पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख-अक्साई चिन), मध्य क्षेत्र (उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश) तथा पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश)—में विभाजित किया जाता है। सीमा विवाद की ऐतिहासिक उत्पत्ति उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश भारत तथा तिब्बत के मध्य

किए गए सीमांकन अभियानों में निहित हैं। पश्चिमी क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जॉनसन रेखा (जॉनसन लाइन) और मैककार्टनी-मैकडोनाल्ड रेखा (मैककार्टनी-मैकडोनाल्ड लाइन) जैसी विभिन्न सीमांकन परियोजनाओं ने भविष्य में विवाद की नींव रखी।

इस प्रकार पूर्वी क्षेत्र में 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन द्वारा प्रस्तावित मैकमोहन रेखा (मैकमोहन लाइन) को भारत अपनी वैध अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इस समझौते को कभी स्वीकार नहीं करता और इसे औपनिवेशिक विरासत का परिणाम मानता है। चीन का तर्क है कि तिब्बत उस समय स्वतंत्र रूप से किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं रखता था, जबकि भारत का मत है कि शिमला सम्मेलन के दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय वैधानिकता रखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत और चीन के संबंध शुरुआती सालों में मित्रतापूर्ण रहे। 1954 में दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सुखद सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों को स्वीकार किया गया।

इसी काल में "हिन्दी-चीनी भाई-भाई" का नारा दोनों देशों के संबंधों का प्रतीक बन गया। बहरहाल इसी अवधि में सीमा संबंधी अस्पष्टताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने तथा उसके बाद भारत-तिब्बत सीमा के स्थान पर भारत-चीन सीमा के अस्तित्व में आने से सीमा विवाद अधिक जटिल हो गया। 1957 में चीन द्वारा अक्साई चिन क्षेत्र से होकर शिन अभियानों और तिब्बत को जोड़ने वाली रणनीतिक सड़क (G219 हाईवे) का निर्माण किया गया, जिसकी जानकारी भारत को बाद में प्राप्त हुई। भारत ने इस क्षेत्र को अपने जम्मू-कश्मीर राज्य का भाग बताया, जबकि चीन इसे अपने शिन अभियानों और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा मानता रहा।

इस घटना ने दोनों देशों के मध्य विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित किया। 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के भारत आने और भारत द्वारा उन्हें राजनीतिक शरण प्रदान किए जाने के बाद द्विपक्षीय संबंध और अधिक तनाव हो गए। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा, जबकि भारत ने इसे मानवीय आधार पर लिया। इसी वर्ष लोंगजू तथा कोंगका दर्रे में सीमा टकरावें हुईं, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास गहराने लगा। सीमा विवाद का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण 1962 का भारत-चीन युद्ध था। अक्टूबर 1962 में पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों क्षेत्रों में व्यापक सैन्य संघर्ष हुआ, जिसमें भारत को सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद चीन ने पूर्वी क्षेत्र से एकतरफा वापसी की, परंतु पश्चिमी क्षेत्र के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चिन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा।

1962 का युद्ध भारत-चीन संबंधों में दीर्घकालिक अविश्वास का आधार बन गया और आने वाले दशकों तक दोनों देशों के राजनीतिक, रणनीतिक तथा आर्थिक संबंधों को प्रभावित करता रहा। युद्ध के बाद लगभग डेढ़ दशक तक दोनों देशों के संबंध अत्यंत सीमित रहे। 1976 में राजनयिक संबंधों को पुनः पूर्ण स्तर पर स्थापित किया गया तथा 1979 में भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की, जिससे संवाद की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हुई। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई। इस यात्रा के दौरान सीमा विवाद को अलग रखते हुए अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी तथा संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया।

इसके पश्चात 1993 में “वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर समझौता” तथा 1996 में “एलएसी के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता” जैसे महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनके उद्देश्य सीमा पर सैन्य तनाव कम करना तथा विश्वास निर्माण उपायों को मजबूत करना था। वर्ष 2005 में दोनों देशों ने सीमा समाधान हेतु राजनीतिक मानदंड एवं दिशानिर्देश सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की, जिससे यह आशा बनी कि भविष्य में विवाद का सुखद समाधान संभव होगा। हालांकि, सीमा व्यय की मूल समस्या का समाधान नहीं हो सका। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में सीमा विवाद पुनः अधिक सक्रिय रूप से सामने आने लगा। 2013 में देपसांग क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ से दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। इसके अगले वर्ष 2014 में चुमार क्षेत्र में भी सैन्य गतिरोध देखने को मिला।

इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि पूर्व के समझौते सीमा पर स्थायी शांति स्थापित करने में पर्याप्त नहीं रहे। 2017 में भूटान, भारत और चीन के त्रि-जंक्शन क्षेत्र स्थित डोकलाम पठार में लगभग 73 दिनों तक चला सैन्य गतिरोध भारत-चीन संबंधों का एक और महत्वपूर्ण अध्याय बना। भारत ने भूटान की सुरक्षा चिंताओं के आधार पर चीनी सड़क निर्माण का विरोध किया, जबकि चीन ने इसे अपनी संप्रभुता का प्रश्न बताया। यद्यपि कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से गतिरोध समाप्त हुआ, फिर भी दोनों देशों के बीच सामरिक अविश्वास और बढ़ गया। सीमा विवाद का सबसे गंभीर आधुनिक चरण जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुआ, जहाँ दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष में दोनों पक्षों को सैन्य क्षति हुई। 1975 के बाद पहली बार सीमा पर सैनिकों की मृत्यु हुई, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को गहरे संकट में डाल दिया।

इसके पश्चात पैंगोंग त्सो, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स तथा देपसांग जैसे क्षेत्रों में भी लंबे समय तक सैन्य गतिरोध बना रहा। भारत ने इसके बाद अपनी सीमा अवसंरचना, सैन्य तैनाती तथा रणनीतिक तैयारियों को मजबूत किया और साथ ही चीन से जुड़े अनेक आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में नई नीतियाँ लागू कीं। चीन ने भी तिब्बत और

शिनजियांग क्षेत्रों में सैन्य तथा परिवहन अवसंरचना का तीव्र विकास किया। इस प्रकार सीमा विवाद अब केवल भू-भाग के स्वामित्व का प्रश्न नहीं रह गया, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक नीति, तकनीकी सहयोग तथा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से भी जुड़ चुका है। इसके बावजूद दोनों देशों ने संवाद की प्रक्रिया जारी रखी है। कोर कमांडर स्तर की अनेक बैठकों, विशेष प्रतिनिधि वार्ताओं तथा विदेश मंत्रियों एवं शीर्ष नेतृत्व के बीच कूटनीतिक संपर्कों के माध्यम से तनाव कम करने के प्रयास किए गए हैं।

BRICS, शंघाई सहयोग संगठन (SCO), G-20 तथा अन्य बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देश सहयोग भी करते रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों समानांतर रूप से चल रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत-चीन सीमा विवाद केवल औपनिवेशिक सीमांकन की विरासत नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय पहचान, सामरिक हितों, तिब्बत के प्रश्न, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

इस विवाद का समाधान केवल सीमांकन से संभव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारस्परिक विश्वास, प्रभावी कूटनीतिक संवाद, सैन्य संयम तथा दीर्घकालिक विश्वास-निर्माण उपायों की आवश्यकता होगी। जब तक सीमा विवाद का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक यह भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश तथा क्षेत्रीय स्थिरता पर निरंतर प्रभाव डालता रहेगा।

द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की प्रकृति

भारत और चीन के आर्थिक संबंधों में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं: -

1. द्विपक्षीय व्यापार
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
3. विनिर्माण एवं औद्योगिक सहयोग
4. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
5. ऊर्जा एवं अवसंरचना परियोजनाएँ
6. वैश्विक आपूर्ति शृंखला

चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, किंतु व्यापार असंतुलन लगातार भारत के विरुद्ध रहा है।

सीमा विवाद का व्यापार पर प्रभाव

सीमा विवाद के कारण व्यापारिक विश्वास में कमी आई है। गलवान संघर्ष के पश्चात भारत सरकार ने: -

1. चीनी मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगाया।
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों को कठोर बनाया।
3. सार्वजनिक खरीद में चीनी कंपनियों की भागीदारी सीमित की।
4. 5G नेटवर्क परियोजनाओं में चीनी कंपनियों की भूमिका घटाई।

इन नीतियों के कारण अनेक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं, यद्यपि कुल व्यापार में दीर्घकालिक वृद्धि पूरी तरह नहीं रुकी।

निवेश एवं औद्योगिक सहयोग पर प्रभाव

सीमा तनाव के बाद चीनी निवेशकों के लिए भारत में निवेश स्वीकृति प्रक्रिया अधिक कठोर हो गई। कई संयुक्त परियोजनाएँ धीमी हुईं तथा भारतीय उद्योगों ने वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की खोज प्रारंभ की। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सौर ऊर्जा तथा स्टार्टअप निवेश में इसका प्रभाव देखा गया।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक सुरक्षा

COVID-19 महामारी तथा सीमा विवाद के संयुक्त प्रभाव ने भारत को "आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण" तथा "आत्मनिर्भर भारत" जैसी नीतियों की ओर प्रेरित किया। भारत ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया ताकि चीनी आयात पर निर्भरता कम की जा सके।

व्यापार असंतुलन

भारत लंबे समय से चीन के साथ बड़े व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। भारत मुख्यतः तैयार उत्पाद आयात करता है जबकि अपेक्षाकृत कम मूल्यवर्धित वस्तुओं का निर्यात करता है। सीमा विवाद के कारण यह असंतुलन आर्थिक एवं रणनीतिक दोनों दृष्टियों से अधिक महत्वपूर्ण बन गया है।

तकनीकी सहयोग पर प्रभाव

सीमा तनाव के बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत ने डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल संप्रभुता को प्राथमिकता देते हुए कई चीनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए। परिणामस्वरूप घरेलू डिजिटल कंपनियों को प्रोत्साहन मिला तथा तकनीकी सहयोग सीमित हुआ।

कूटनीतिक एवं आर्थिक संतुलन

यद्यपि सीमा विवाद जारी है, दोनों देश BRICS, SCO तथा G-20 जैसे मंचों पर आर्थिक सहयोग बनाए रखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों समानांतर रूप से संचालित हो रहे हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. सीमा विवाद का स्थायी समाधान न होना।
2. व्यापार असंतुलन।
3. निवेश संबंधी सुरक्षा चिंताएँ।
4. तकनीकी निर्भरता।
5. भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा।
6. आपूर्ति श्रृंखला की अस्थिरता।
7. राजनीतिक विश्वास की कमी।

भविष्य की संभावनाएँ

यदि दोनों देश सीमा विवाद के समाधान हेतु प्रभावी कूटनीतिक तंत्र विकसित करते हैं, तो निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है: -

1. हरित ऊर्जा
2. जलवायु परिवर्तन
3. डिजिटल व्यापार
4. स्वास्थ्य सहयोग
5. क्षेत्रीय अवसंरचना
6. बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएँ
7. वैश्विक मूल्य श्रृंखला

विश्वास निर्माण उपाय आर्थिक सहयोग को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत-चीन सीमा विवाद ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रभावित किया है। यद्यपि व्यापारिक गतिविधियाँ पूर्णतः बाधित नहीं हुई, फिर भी सीमा तनाव ने निवेश, तकनीकी सहयोग, व्यापार नीति और आर्थिक विश्वास को प्रभावित किया है। वर्तमान परिदृश्य यह दर्शाता है कि आर्थिक परस्पर निर्भरता और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा एक साथ मौजूद हैं। दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग के लिए सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान, राजनीतिक विश्वास, प्रभावी कूटनीतिक संवाद तथा संतुलित व्यापारिक नीतियाँ आवश्यक हैं। भविष्य में यदि दोनों देश सुरक्षा और आर्थिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल होते हैं, तो एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी साझेदारी और अधिक सुदृढ़ हो सकती है।

संदर्भ

1. बसुरूर, आर., और क्लीम, एफ. (2021). भारत-चीन संबंध: सीमा पर तनाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। रूटलेज।
2. गार्वर, जे. डब्ल्यू. (2011). लंबे समय से चल रही प्रतिस्पर्धा: बीसवीं सदी में चीन-भारत प्रतिद्वंद्विता। यूनिवर्सिटी ऑफ़ वाशिंगटन प्रेस।
3. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। (2023). वार्षिक रिपोर्ट 2022-23। नई दिल्ली।
4. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (2023). निर्यात-आयात डेटा। नई दिल्ली।
5. मोहन, सी. आर. (2020). गलवान के बाद भारत-चीन संबंध। द इंडियन एक्सप्रेस।
6. पंत, एच. वी., और बोम्माकांती, के. (2021). भारत-चीन सीमा संकट और रणनीतिक प्रभाव। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।
7. भारतीय रिज़र्व बैंक। (2023). वार्षिक रिपोर्ट 2022-23। मुंबई।
8. विश्व बैंक। (2023). विश्व विकास संकेतक। वाशिंगटन, डी.सी.।
9. डब्ल्यूटीओ (WTO)। (2023). विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा। जिनेवा।
10. जुएतोंग, वाई. (2019). नेतृत्व और महाशक्तियों का उदय। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।